INTEGRATION OF THE PRINCELY STATES
भारतीय देशी रियासतों का विलय

भारत में कुल 562 रियासतें थी। 1858 ई० के पश्चात से इन राज्यों के अंग्रेजी सरकार से जो सम्बन्ध थे उन्हें सर्वोच्चता (Paramountcy) कहा जाता था। सैद्धान्तिक दृष्टिकोण से यह रियासतें आन्तरिक मामलों में स्वतन्त्र थी किन्तु वास्तविक रुप में उन पर अंग्रेजी शासन का नियन्त्रण था।

1946 ई० में कैबिनेट मिशन योजना के अन्तर्गत यह घोषणा की गयी कि रियासतों को अधिकार होगा कि वे जिन विषयों को चाहें, उन्हें संघ को दें, संविधान के अस्तित्व में आने पर ब्रिटिश सर्वोच्चता समाप्त हो जायेगी तथा यह अधिकार भारतीय सरकार को नहीं दिया जायेगा। इस घोषणा से रियासतें पूर्ण स्वतंत्र होने का स्वप्न देखने लगी। इस प्रकार अंग्रेजों ने भारतीयों के लिए अत्यन्त जटिल समस्या उत्पन्न कर दी। 16 जुलाई 1947 ई० को सरदार पटेल की अध्यक्षता में स्टेट विभाग की स्थापना की गयी। सरदार पटेल ने देखा कि 562 राज्यों में 100 राज्य प्रमुख थे, जैसे हैदराबाद, कश्मीर, ग्वालियर, बड़ौदा, मैसूर, आदि। इसके विपरीत कुछ रियासतें बहुत ही छोटी थी। इन रियासतों में निरंकुश राजतन्त्र था तथा शासक राजा के दैवीय अधिकारों में विश्वास रखते थे। सरदार पटेल के विशेष प्रयत्नों से पाकिस्तान में शामिल होने वाली रियासतों के अतिरिक्त शेष सभी रियासतें भारत में शामिल हो गयी। केवल जूनागढ़, कश्मीर व हैदराबाद की रियासतें इस विलय के लिए तैयार न थी।

इन रियासतों का भारत में विलय करना सरल कार्य न था, किन्तु सरदार पटेल ने असाधारण योग्यता का परिचय दिया। उन्होंने रियासतों से अपील की कि वह भारत की अखण्डता को बनाये रखने में उनकी सहायता करें। उन्होंने मैत्री व सद्भावना का हाथ बढ़ाया व भारत में सम्मिलित हो जाने के लिए कहा।

सरदार पटेल ने दो प्रकार की पद्धतियों को अपनाया था— बाह्य विलय व आन्तरिक संगठन। बाह्य विलय में छोटे छोटे राज्यों को

मिलाकर एक बड़ा राज्य बनाना तथा आन्तरिक संगठन के आधार पर इन राज्यों में प्रजातन्त्रिक प्रणाली लागू करना।

अब उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की 39 रियासतों का उड़ीसा या मध्य प्रान्त में विलय कर दिया गया। दक्षिण के 17 राज्यों को बम्बई में मिलाया गया। बम्बई में गुजरात के 289 रियासतों को भी शामील किया गया। बड़ौदा को भी बम्बई में शामिल किया गया। कुछ रियासतें पंजाब में शामिल की गई। कूच बिहार को बंगाल में, बगानापल्ली पुडुकोट्टाई को मद्रास में खासी हिल रियासतों को आसाम में, टेहरी गढ़वाल, रामपुर - बनारस उत्तर प्रदेश में शामील की गयी।

जबकि कुछ रियासतों को मिलाकर केन्द्र-शासित क्षेत्र बनाये गये। पूर्वी पंजाब की रियासतों से हिमाचल प्रदेश बुन्देलखण्ड व बघेलखण्ड की 65 रियासतों को मिलाकर विंध्यप्रदेश, कच्छ, भोपाल, त्रिपुरा, बिलासपुर पंजाब को केन्द्र-शासित प्रदेश बनाये गये।

कुछ रियासतों को मिलाकर संघ बनाये गये। जिन्हें राज प्रमुखों के शासन में रखा गया। गुजरात की 222 रियासतों को सौराष्ट्र संघ, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली को मिलाकर मतस्य संघ, राजस्थान संघ में जोधपुर बीकानेर, जैसलमेर तथा तथा अन्य रियासतें थीं। मध्य भारत संघ का निर्माण ग्वालियर, इन्दौर, मालवा की रियासतों को मिलकर किया गया। 1949 ई. में कोचीन का संघ ट्रावनकोर बनाया गया।

इन रियासतों को नये संविधान में क, ख, ग श्रेणी में रखा गया। 'क' में वे गवर्नरी प्रान्त थे जो रियासतों के मिलने से बड़े हो गये थे। 'ख' के अन्तर्गत रियासतों के संघ जैसे- राजस्थान, पेप्सू को रखा गया। 'ग' श्रेणी में केन्द्र द्वारा प्रशासित रियासतें थीं।

continue....

जबकि जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर की रियासतों को सामान्य प्रक्रिया से भारत संघ में सम्मिलित नहीं किया गया। बल्कि इन रियासतों का भारत में विलय करने के लिए सरदार पटेल को सेना की सहायता लेनी पड़ी।

जूनागढ़ :— जूनागढ एक छोटी सी रियासत थी। जिसने सितम्बर 1947ई० में पाकिस्तान में सम्मिलित होना स्वीकार किया। परन्तु इस राज्य की बहुसंख्यक जनता हिन्दू थी। साथ ही साथ यह भारतीय सीमाओं से घिरा हुआ था। राज्य के नागरिकों ने अपने नवाब के फैसले का विरोध किया और एक स्वतन्त्र अस्थायी सरकार की स्थापनाकर ली। नवाब अपनी रियासत को छोड़कर पाकिस्तान भाग गया और बाद में फरवरी 1948ई० में जनमत-संग्रह करके जूनागढ़ को भारतमें सम्मिलित कर लिया गया। इस प्रकार जूनागढ़ का भारत में विलय हो गया।

हैदराबाद :— हैदराबाद का निजाम भी भारत में सम्मिलित होने के पक्ष में न था। हैदराबाद भारतीय सीमाओं से घिरा हुआ था। वहाँ की बहुसंख्यक जनता हिन्दू थी। हैदराबाद का निजाम अपने लिए एक स्वतन्त्र राज्य की स्थापना करना चाहता था हालांकि लार्ड माउण्टबेटन के प्रयत्नों से नवम्बर 1947ई० में भारत और हैदराबाद में एक अस्थायी समझौता हो गया था। परन्तु निजाम ने उस समझौते का पालन नहीं किया और मुस्लिम रजाकारों को प्रोत्साहन दिया। राज्य में हिन्दुओं पर अत्याचार होने लगे, हिन्दू-मुस्लिम दंगे होने लगे आवागमन के साधनों को हानि पहुँचाई गई। जून 1948ई० में लार्ड माउण्टबेटन के भारत से चले जाने के बाद स्थिति और अधिक गम्भीर हो गयी। अन्त में हैदराबाद के रुख को देखकर भारत ने 'पुलिस कार्यवाही' करने का फैसला किया और सितम्बर 1948ई० में भारतीय सेना ने हैदराबाद में प्रवेश किया। पाँच दिन में ही हैदराबाद के भाग्य का निर्णय हो गया। 18 सितम्बर 1948ई० को मेजर जनरल जे० एन० चौधरी ने हैदराबाद के सैनिक गवर्नर का पद संभाला और इस प्रकार

हैदराबाद को भारत में सम्मिलित कर लिया गया। जिसे निजाम ने भी स्वीकार कर लिया।

कश्मीर :— राज्यों के विलय के सम्बन्ध में कश्मीर के विलय की समस्या सबसे जटिल थी। कश्मीर में मुसलमान बहुसंख्यक थे इसकी सीमा पाकिस्तान से मिलती थी। अतः जिन्ना भी कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। कश्मीर के राजा हरीसिंह ने भी अपने को स्वतंत्र रखने का प्रयत्न किया था। तथा स्पष्ट घोषणा नहीं की थी कि वह पाकिस्तान अथवा भारत किसके साथ मिलना चाहता है। इस बात का लाभ उठाते हुए जिन्ना ने 22 अक्टूबर 1947 ई० को कबाइली लुटेरों के रूप में पाकिस्तान सेना को कश्मीर भेजा जो जल्द ही श्रीनगर तक पहुँच गये। इस पर कश्मीर का शासक भयभीत होगया और उसने भारत से सैन्य सहायता माँगी। हरीसिंह ने भारत में सम्मिलित होना स्वीकार कर लिया किन्तु पं० नेहरू तब तक कश्मीर को सहायता देने के लिए तैयार नहीं हुए जब तक कि राज्य के मुख्य राजनीतिक दल नेशनल कान्फ्रेन्स के नेता शेख अब्दुल्ला ने पं० नेहरू को यह आश्वासन नहीं दिया कि राज्य में संवैधानिक शासन की शर्त पर वह और उसका दल भारत को कश्मीर के साथ सम्मिलित किये जाने के पक्ष में है। अन्त में कश्मीर को भारत में सम्मिलित करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। यह भी निश्चित किया गया कि बाद में कश्मीर में इस विषय पर जनमत संग्रह कराया जायेगा। इस समझौते के पश्चात 27 अक्टूबर को हवाई मार्ग से भारतीय सेना श्रीनगर भेजी गयी। जिसने श्रीनगर को बचा लिया। कश्मीर को अपने हाथ से निकलता देख पाकिस्तानी सेना ने कबाईलीयों के नाम से युद्ध द्वारा हस्तक्षेप किया। यह संघर्ष जनवरी 1949 ई० में समाप्त हुआ। जबकि संयुक्त राष्ट्रसंघ के हस्तक्षेप के कारण भारत और पाकिस्तान दोनों ने युद्ध बन्द करना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार कश्मीर को भारत में सम्मिलित कर लिया गया।

यद्यपि पाकिस्तान के आक्रमण के कारण कश्मीर का बड़ा क्षेत्र आज भी पाकिस्तान के अधिकार में है और कश्मीर आज तक भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का एक कारण बना हुआ है। संयुक्त राष्ट्रसंघ आज तक इस समस्या के सम्बन्ध में कुछ नहीं कर सका है।

—x—x—